फर्द अहकाम

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम बायतु

मांगी बनाम गोरधनराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 नं. 173 सन 2015

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.09.15	प्रार्थीनी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीनी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीनी की भूमि पैतृक है। वकील प्रार्थीनी के अनुसार विप्रार्थीगण शामलाती पैतृक कृषि भूमि के निश्चित भू–भाग को बेचने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्राथीनी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 12.10.2015 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा धारासर का तला पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 709 रकबा 25.00 बीघा, खसरा नम्बर 713 रकबा 00.07 बीघा, खसा नम्बर 714 रकबा 01.05 बीघा , खसरा नम्बर 715 रकबा 101.02 बीघा व मौजा बणिया धोरा पटवार मण्डल बायतु भीमजी के खेत खसरा नम्बर 76 रकबा 45.06 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें व न ही बेचान करें तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 12.10.2015 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned with CamScanner

12/10/15 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 18/11/15 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

18/11/15 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 18/01/16 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

18/01/16 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 3 की ओर से मूल वाद में वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, शेष अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 15/03/16 को पेश हो, तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

15/03/16 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-3 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 07/06/16 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

07/06/16 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-3 के वकील उपस्थित। पीठासीन अधिकारी लोक अदालत कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक 10/10/16 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/10/16	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-3 के वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-3 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है अतः मिसल इन्तजा होकर आगामी दिनांक 07/12/16 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।	
07/12/16	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-3 के वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-3 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये। जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है तथा प्रार्थी वकील विपक्षीगणों के नोटिस पुनः पेश करें पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 15/03/17 को पेश हो, तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।	
15/03/17	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-3 के वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-3 के वकील द्वारा जवाब व प्रार्थी वकील द्वारा शेष विपक्षीगणों के नोटिस पुनः पेश नहीं किये गये, आइन्दा पेश करना चाहते है। पूर्व में अंतिम अवसर दिया गया था, न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 03/05/17 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।	
03/05/17	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-3 के वकील उप.। श्रीमान पीठासीन अधिकारी लोक अदालत कैम्प में व्यस्त होने से मिसल इन्तजा होकर आगामी दिनांक 05/09/17 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/09/17	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-3 के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा पूर्व आदेशिका की पालना नहीं की गई, पूर्व में अन्तिम अवसर दिया गया था। न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 08/11/17 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। [signature]	
08/11/17	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/01/18 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। [signature]	
30/01/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 30/04/18 को पेश हों। [signature]	
30/04/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 06/08/18 को पेश हों। [signature]	
06/08/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 30/10/18 को पेश हों। [signature]	
30/10/18	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/01/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। [signature]	

Scanned with CamScanner

ख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/01/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 25/03/19 को पेश हों।	
25/03/19	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-3 के वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी जयपुर मीटिंग में पधारे हुए है अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 28/05/19 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।	
28/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील का मूल वाद Not press में खारीज हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः प्रार्थी का आवेदन जरिये Not press इसी स्टेज पर खारीज कीया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) नायत	

Scanned with CamScanner